"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2003—ज्येष्ठ 30, शक 1925

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/2/एक.—श्री विवेक कुमार देवांगन, भा. प्र. से. (1993) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2003

क्रमांक ई-1-15/2003/1/2.—श्री अमित अग्रवाल, भा. प्र. से. (1993) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना-प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, 12वां वित्त आयोग (वित्त एवं योजना विभाग) का प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

2. श्री अग्रवाल द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, 12वां वित्त आयोग (वित्त एवं योजना विभाग) का कार्यभार ग्रहण करने पर



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

श्री राजकमल भा. प्र. से. (1994), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, 12वां वित्त आयोग (वित्त एवं योजना विभाग) के कार्य से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. मिश्र,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 1331/1085/2512/2003/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1133/892/2003 साप्रवि/1/2/लीव, दिनांक 9-5-2003 द्वारा श्री मनोहर पांडेय, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर को दिनांक 19-5-2003 से 31-5-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त अवकाश में वृद्धि करते हुए दिनांक 19-5-2003 से 6-6-2003 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त आदेश दिनांक 9-5-2003 के शेष बिन्दु क्रमांक (2) एवं (3) यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2003

क्रमांक 1350/1133/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 27-5-2003 से 7-6-2003 तक (12 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 8-6-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री बगाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. श्री बगाई को अवकाश काल में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2003

क्रमांक 1360/1171/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्रीमती रेनू पिल्ले, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 9-6-2003 से 20-6-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8-6-2003 एवं 21, 22-6-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्रीमती रेनु पिल्ले, संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती.

3. अवकाश काल में श्रीमती रेनू पिल्ले को वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू पिल्ले, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर में पुनः पदस्थ होंगी.

5. श्रीमती रेनू पिल्ले, संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सी. एच. बेहार, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2003

क्रमांक 1396/950/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-5-2003 द्वारा, श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 2-6-2003 से 13-6-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए, दिनांक 6-6-2003 से 13-6-2003 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14-15-6-2003 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अजय सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री सिंह की अवकाश अवधि में, सचिव, ऊर्जा का चालू प्रभार, श्री विवेक ढाँड, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी,** अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 3361/2675/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामऔतार शर्मा, अधिवक्ता, बालोद को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से बालोद सत्र खण्ड के दुर्ग के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक डी-3608/1454/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मोहन लाल निषाद अधिवक्ता रायपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट रायपुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर लोक अभियोजन नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रभात शास्त्री**, उप-सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक 3647/1444/21-ब/छ.ग./2003.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 क्रमांक 15 सन् 1872 की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर राड्रिक जॉन डिसाईपल्स चर्च पेण्ड्रीडीह जरहागांव को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में,

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने और
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 6th June 2003

No. 3647/1444/21-B/C.G./2003.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant licence to the Minister of Religion Paster Rodrick John Disciples Church, Pendridieh, Jarhagaon for Bilaspur District State of Chhattisgarh.

(1) The solemanise marriage, and
(2) To grant certificate of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. बी. बाजपेयी**, उप-सचिव.

---

## गृह (परिवहन) विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक एफ-5-29/दो/आठ-परि./2002.—राज्य सरकार का मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है;

अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा समग्र मानव सेवा केन्द्र, बिलासपुर के स्वामित्व की एम्बुलेंस जो निम्नानुसार निर्दिष्ट है को इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 में उद्ग्रहणीय मोटरयान कर से छूट देता है.

| | | |
|---|---|---|
| वाहन का प्रकार | - | HM-RTV-SR-Ambulance |
| इंजिन क्रमांक | - | 3HNKA 004537 |
| चेसिस क्रमांक | - | RMA 002602 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. विज**, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक एफ-5-29/दो/आठ-परि./2002.—भारत के संविधान

के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-5-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. विज,** विशेष सचिव.

Raipur, the 31st May, 2003

No. F-5-29/Two/Eight-Tr./2002.—Whereas the State Government is of the opinion that it is necessary to do so in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the State Government hereby exepmt the Ambulance owned by Samagra Manav Seva Kendra, Bilaspur as specified below from payment of Motor Vehicle Tax leviable under section 3 of the said act with effect from the date of issue of this notification.

Vehicle type - HM-RTV-SR-Ambulance

Engine No. - 3HNKA 004537

Chasis No. - RMA 002602

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

## गृह (सामान्य) विभाग
## (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक एफ-9-28/गृह/दो/03.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **उच्चस्तर** | |
| | **कलेक्टर बिलासपुर** | |
| 1. | श्री रिमन सिंह ठाकुर | विकासखण्ड अधिकारी |
| 2. | श्री अमरसिंह ठाकुर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक एफ-9-36/गृह/दो/03.—पशु चिकित्सा विभाग के सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''लेखा-प्रथम (बिना पुस्तकों के) लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **उच्चस्तर** | |
| | **कलेक्टर रायपुर** | |
| 1. | डॉ. एस. ए. फारूकी | पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ. |
| 2. | डॉ. राजेन्द्र भगत | पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ. |
| 3. | डॉ. नरोत्तम चन्द्राकर | पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ. |
| 4. | डॉ. रोहिणी पाठक | पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ. |

रायपुर, दिनांक 20 मई 2003

क्रमांक एफ-9-8/गृह/दो/03.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28, 29 जनवरी, 2003 को प्रश्न पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्राक्रिया प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **सश्रेय** | |
| | **कलेक्टर रायपुर** | |
| 1. | श्री वेदनाथ चन्द्रवंशी | नायब तहसीलदार |

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर या उनसे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

| क्र. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) | प्रश्नपत्र (4) | स्तर (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री चैतराम पाटिल | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं द्वितीय. | निम्नस्तर |
| 2. | श्री भूषण लाल साहू | राजस्व निरीक्षक | प्रथम | निम्नस्तर |
| 3. | श्री थानसिंह ठाकुर | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं द्वितीय. | निम्नस्तर |
| 4. | श्री देश कुमार कुर्रे | राजस्व निरीक्षक | द्वितीय एवं तृतीय. | निम्नस्तर |
| | **कलेक्टर बिलासपुर** | | | |
| 5. | श्री वेदराम चतुर्वेदी | राजस्व निरीक्षक | द्वितीय एवं तृतीय. | निम्नस्तर |
| 6. | श्री प्रेमदास मिरे | नायब तहसीदार | प्रथम | निम्नस्तर |
| | **कलेक्टर बस्तर** | | | |
| 7. | सुश्री सतरूपा साहू | राजस्व निरीक्षक. | तृतीय | उच्चस्तर |
| 8. | श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डेय. | राजस्व निरीक्षक | तृतीय | उच्चस्तर |

रायपुर, दिनांक 20 मई 2003

क्रमांक एफ-9-8/गृह/दो/03.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **उच्चस्तर** | |
| | **कलेक्टर बस्तर** | |
| 1. | श्री रवि कुमार साव | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | **कलेक्टर बिलासपुर** | |
| 2. | श्री अमरसिंह ठाकुर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | **कलेक्टर रायपुर** | |
| 3. | श्री नेतराम देवांगन | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**निरंजन दास**, उप-सचिव.

## कृषि विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक 3665-बी-14/21/2003/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को जो बीज नियम 1968 के नियम-22 में विहित अर्हताएं रखते हों को उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त आदेश के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

### अनुसूची

| क्रमांक<br>(1) | अधिकारी<br>(2) | अधिकारिता<br>(3) | प्रयोजन<br>(4) |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ में पदस्थ समस्त संयुक्त संचालक कृषि, उप-संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी. | संपूर्ण छत्तीसगढ़ | कृषि फसलों के बीज |
| 2. | आचंलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना के कार्यालय में पदस्थ आंचलिक प्रबंधक (संयुक्त संचालक, कृषि) समस्त सहायक संचालक कृषि, समस्त विषय वस्तु विशेषज्ञ, समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा समस्त कृषि विकास अधिकारी. | अपने-अपने संभागों में | कृषि फसलों के बीज |
| 3. | उप-संचालक कृषि या परियोजना कार्यपालन अधिकारी रायपुर के कार्यालय में पदस्थ उप-संचालक कृषि, समस्त सहायक संचालक कृषि, विषयवस्तु विशेषज्ञ,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी. | अपने-अपने जिलों में | कृषि फसलों के बीज |
| 4. | जिले के उप-संभाग अथवा विकासखंड अथवा वृत्त स्तर में पदस्थ समस्त अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विषयवस्तु विशेषज्ञ एवं कृषि विकास अधिकारी. | अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर. | कृषि फसलों के बीज कंद मूल इत्यादि. |
| 5. | कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ समस्त संयुक्त संचालक उद्यान, उप-संचालक उद्यान, सहायक संचालक उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी. | संपूर्ण छत्तीसगढ़ | उद्यानिकी फसलों के बीज. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 6. | जिले में पदस्थ समस्त उप-संचालक उद्यान, सहायक संचालक उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी जिले के विकासखंड अथवा वृत्त के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी एवं उद्यान अधीक्षक. | संबंधित जिला/ विकासखंड. | उद्यानिकी फसलों के बीज. |

Raipur, the 26th April 2003

No. 3665/B-14/21/2003/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause 12 of the Seed (Control) Order, 198 -issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government hereby appoint the officer specified in column (2) in the schedule below, who possess the qualifications prescribed in Rule 22 of the Seed Rules, 1968 as inspector to exercise the power within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

| S. No. (1) | Officer (2) | Jurisdiction (3) | Purposes (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | All Joint Directors of Agriculture/Deputy Director of Agriculture/Asstt. Director of Agriculture/Senior Agriculture Development Offiers and Agriculture Development Officers posted in Directorate of Agriculture, Chhattisgarh, Raipur. | Whole of Chhattisgarh | Agriculture crop seed. |
| 2. | All Joint Directors of Agriculture/Asstt. Director of Agriculture/Subject matter specialist/Senior Agriculture Development Offiers posted in Zonal Managers Office of Agriculture, Agro Climatic Zones. | Respective Division. | Agriculture crop seed. |
| 3. | All Deputy Directors of Agriculture/Asstt. Director of Agriculture/Subject matter specialist/ Senior Agriculture Development Officer/Agriculture Development Officers, Posted in District either in the office of Deputy Director Agriculture or officer of the Project Executive Officer-Raipur. | Respective District | Agriculture crop see. |
| 4. | All Sub Divisional Officers (Agriculture)/ Senior Agriculture Development Officer/Subject matter specialist and Agriculture Development Officers posted in the Sub-Division or Block or Circle level in the district. | For their respective jurisdiction. | Agriculture crop seed. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 5. | All Joint Directors of Horticulture/Deputy Director of Horticulture/Asstt. Director of Horticulture/ Senior Horticulture Development Officer/Horticulture Development Officers posted in the Directorate of Agriculture, Chhattisgarh, Raipur. | Whole Chhattisgarh | Horticulture crop seed. Tubes. bulbs etc. |
| 6. | All the Deputy Directors of Horticulture/Asstt. Director of Horticulture/Senior Horticulture Development Officers/Horticuluture Development Officers posted in the office of the Deputy Director of Horticulture, Garden Superintendent and Senior Horticulture Development Officers/ Horticulture Development Officers posted in the Block. | Respective District/ Block. | Horticulture crop seed. |

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक 3668/बी-14/21/2003/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कालम (3)में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :—

## अनुसूची

| क्रमांक (1) | अधिकारी (2) | अधिकारिता (3) | प्रयोजन (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | समस्त जिले के उप-संचालक, कृषि | अपने जिले हेतु | कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीज. |
| 2. | परियोजना कार्यपालन अधिकारी | रायपुर जिला | कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीज. |

Raipur, the 26th April 2003

No. 3668/B-14/21/2003/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause 11 of Seed (Control) Order, 1983 issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government hereby appoint the officer specified in column (2) in the schedule below as Licensing Officer to exercise the power within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

## SCHEDULE

| S. No. (1) | Officer (2) | Jurisdiction (3) | Purposes (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | All Deputy Director of Agriculture of Districts. | Respective Districts. | Agriculture and Horticulture crop seeds. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. | Project Executive Officer, Raipur | Raipur District. | Agriculture and Horticulture crop seeds. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एल. जैन,** उप-सचिव.

## समाज कल्याण विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2003

क्रमांक एफ-1/स.क.वि./26/2003-2004/595.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 56 सन् 2000) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-1/स.क.वि./26/2002-2003/1482 दिनांक 12-12-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यक्ष के रूप में प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी तथा राज्य चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित दो सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है. उक्त अनुसूची के कॉलम चार में निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये जाते हैं तथा कॉलम दो से तीन में दर्शाये अनुसार क्षेत्र अधिसूचित करती है.

अनुसूची

| अ. क्र. (1) | जिले का नाम (2) | क्षेत्र (3) | बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | रायपुर | रायपुर, महासमुंद, धमतरी | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती छाया वर्मा, सदस्य<br>3. श्री अरूण भद्रा, सदस्य |
| 2. | बिलासपुर | बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा. | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती कमला चित्तवार, सदस्य<br>3. डॉ. बसंत पहरे, सदस्य |
| 3. | राजनांदगांव | राजनांदगांव, कवर्धा | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती रत्ना ओस्तवाल, सदस्य<br>3. श्री अब्दुल्ला युसूफ, सदस्य |
| 4. | बस्तर | बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती प्रमिला कपूर, सदस्य<br>3. श्री भजन सिंह डाज, सदस्य |
| 5. | रायगढ़ | रायगढ़, जशपुर | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती मेघा देवी, सदस्य<br>3. श्री बंशीधर पंडा, सदस्य |
| 6. | दुर्ग | दुर्ग | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेड, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती ओम टंडन, सदस्य<br>3. श्री अनिलकुमार कांबले, सदस्य |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 7. | सरगुजा | सरगुजा, कोरिया | 1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष<br>2. श्रीमती प्रीत बावरा, सदस्य<br>3. श्री कपिल नारायण सिंह, सदस्य. |

किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष का होगा. रायगढ़ जिले के बोर्ड की बैठक उप-संचालक, पंचायत तथा समाज कल्याण के कार्यालय परिसर में होगी, शेष जिलों में बोर्ड की बैठक संप्रेक्षण गृह परिसर में होगी.

Raipur, the 20th May 2003

No. F-1/S.W.D./26/2003-2004/595.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby amends partially the order No. F-1/S.W.D./26/02-03/1482 dated 12-12-2002 issued by the Department of Social Welfare and reconstitutes the Juvenile Justice Board with the First Class Judicial Magistrare as Chairman and two Social Workers duly selected by the State Selection Committee as members,.The following members in Column 4 are appointed and notified for the area shown in column No. 2 to 3 of the said Schedule.

SCHEDULE

| S. No.<br>(1) | Name of the District<br>(2) | Area<br>(3) | Name of the Chariman and member of the Board<br>(4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Raipur | Raipur, Mahasamund, Dhamtari. | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman.<br>2. Smt. Chhaya Verma, Member.<br>3. Shri Arum Bhadra, Member. |
| 2. | Bilaspur | Bilaspur, Janjgir-Champa, Korba . | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman<br>2. Smt. Kamla Chittawar, Member.<br>3. Dr. Basant Pahare, Member. |
| 3. | Rajnandgaon | Rajnandgaon, Kawardha | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman<br>2. Smt. Ratna Ostawal, Member.<br>3. Shri Abdulla Yusuf, Member. |
| 4. | Bastar | Bastar, Kanker, Dantewada. | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman.<br>2. Smt. Pramila Kapoor Member.<br>3. Shri Bhajan Singh Doj, Member. |
| 5. | Raigarh | Raigarh, Jashpur | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman.<br>2. Smt. Megha Devi, Member.<br>3. Shri Bansidhar Panda, Member. |
| 6. | Durg | Durg | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman.<br>2. Smt. Om Tondon, Member.<br>3. Shri Anil Kumar Kamble, Member. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 7. | Sarguja | Sarguja, Koriya | 1. First Class Judicial Magistrate, Chairman<br>2. Smt. Preet Babara, Member.<br>3. Shri Kapil Narayan Singh, Member. |

The term of office to the Juvenile Justice Board shall be three years from the date of notification. The Board shall be meeting in the prmises of the observation homes except for the district of Raigarh where meeting will be in the office premises of the Deputy Director, Panchayat and Social-Welfare.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्रमांक एफ 11-13/2002/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में नियम बनाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन करती है.

1. श्रमायुक्त : अध्यक्ष
2. उपश्रमायुक्त "प्रशासन" : पदेन सचिव
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, रायपुर संभाग, रायपुर. : सदस्य
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायपुर. : सदस्य
5. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर का प्रतिनिधि : सदस्य

Raipur, the 24th January 2003

No. F 11-13/2002/16.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Building and Other construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996). the State Governmet hereby constitute following Expert Committee for making rules under this Act and is implementation in the State.

1. Labour Commissioner : Chairperson
2. Dy. Labour Commissioner "Administration" : Officiating Secretary
3. Executive Engineer Rural Engineering Services Raipur Divison. : Member

4. Executive Engineer : Member
   Public Works Dept., Raipur.

5. Representative of Engineer : Member
   in Chief Water Resources Deptt.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. मूर्ति**, सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक एफ 01-13/खाद्य/2003/29.—डॉ. ए. के. पाठक, उप नियंत्रक, नापतौल, रायपुर को दिनांक 20-5-2003 से 13-6-2003 तक 25 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 19-5-2003 से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. उक्त अवकाश से लौटने पर डॉ. ए. के. पाठक को पुनः उप नियंत्रक नापतौल, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में डॉ. ए. के. पाठक को वेनत एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. डॉ. ए. के. पाठक के अवकाश अवधि में श्री जे. के. जैन, सहायक नियंत्रक, नापतौल, रायपुर अपने मूल पद के कर्त्तव्यों के साथ-साथ उप नियंत्रक, नापतौल, रायपुर का कार्य भी संपादित करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ए. के. पाठक, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विश्वकर्मा**, अवर सचिव.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | परसापाली प. ह. नं. 7 | 0.862 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 92/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | बोतल्दा प. ह. नं. 7 | 1.988 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 93/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | रतनमहका प. ह. नं. 11 | 1.971 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 94/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक-प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | सोनबरसा प. ह. नं. 12 | 1.549 | कार्यपालन यंत्री; मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 95/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | बड़ेडुमरपाली प. ह. नं. 13 | 0.325 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 96/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | जैमुरा प. ह. नं. 17 | 0.652 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 97/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | भैनापारा प. ह. नं. 12 | 3.885 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 98/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | भेलवाडीह प. ह. नं. 6 | 3.006 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 99/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | चपले प. ह. नं. 15 | 4.378 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 100/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | जैपुरा<br>प. ह. नं. 17 | 5.320 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | तूर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 101/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | हालाहुली<br>प. ह. नं. 10 | 0.328 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़. | महका अड़भार मार्ग हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1160.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | करनौद प. ह. नं. 17 | 0.145 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | गोविन्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1161.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | गोविन्दा प. ह. नं. 16 | 0.556 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | गोविन्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1162.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | गोविन्दा प. ह. नं. 16 | 0.771 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | गोविन्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1163.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | कमरीद प. ह. नं. 12 | 0.259 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | कमरीद डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1164.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | तनौद प. ह. नं. 18 | 0.125 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | डोंगा कोहरौद उपशाखा अंतर्गत माइनर नं. 11 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1165.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | तनौद प. ह. नं. 18 | 0.247 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | डोंगा कोहरौद उपशाखा अंतर्गत माइनर नं. 12 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1166.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | तनौद प. ह. नं. 18 | 0.101 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | डोंगा कोहरौद उपशाखा अंतर्गत माइनर नं. 13 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1167.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | पेण्ड्री प. ह. नं. 40 | 0.129 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | पिथमपुर डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1168.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | बारगांव प. ह. नं. 13 | 0.481 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | बारगांव माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1169.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | लोहर्सी प. ह. नं. 20 | 0.032 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | बोरदा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1170.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | लोहर्सी<br>प. ह. नं. 20 | 0.085 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | कामता माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1171.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को,इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | मेंहदी<br>प. ह. नं. 15 | 0.162 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | मेंहदी माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1172.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | सेमरिया प. ह. नं. 4 | 0.230 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | चंडीपारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1173.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | राहौद प. ह. नं. 17 | 0.121 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | शिवरीनारायण वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1174.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | नवागढ़ | दुरपा प. ह. नं. 15 | 0.260 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | शिवरीनारायण वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1175.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | नवागढ़ | दुरपा प. ह. नं. 15 | 0.110 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | दुरपा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1176—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | तिवारीपारा प. ह. नं. 21 | 0.368 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | शंभू नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1177.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | मुड़पार प. ह. नं. 11 | 1.460 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | भुईगांव वितरक के माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1178—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | बड़गड़ी प. ह. नं. 15 | 0.161 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 2, चांपा. | बड़गड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1179.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | कपिस्दा प. ह. नं. 18 | 0.259 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 2, चांपा. | कनकपुर उपशाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1176—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | गोविन्दा प. ह. नं. 16 | 0.118 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा. | कनकपुर उपशाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1181.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | करनौद प. ह. नं. 17 | 0.081 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा. | कनकपुर उपशाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1182—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | पोंड़ीशंकर प. ह. नं. 16 | 0.502 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो, नहर संभाग क्र. 2, चांपा. | पोंड़ीशंकर माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. आर. सारथी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## राजस्व विभाग
### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 797/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.231 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 209/1 | 0.016 |
| 206, 207/2 | 0.057 |
| 208 | 0.053 |
| 225/3 | 0.150 |
| 200/1 | 0.089 |
| 226/2 | 0.057 |
| 205/1 | 0.089 |
| 299/5 | 0.170 |
| 433/1 | 0.057 |
| 201, 205/2 | 0.045 |
| 197/3 | 0.036 |
| 225/1 | 0.129 |
| 241 | 0.101 |
| 410/5 | 0.012 |
| 230/9 | 0.028 |
| 230/8 | 0.020 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 433/3 | 0.061 |
| 231/3 | 0.020 |
| 197/1 | 0.008 |
| 230/1 | 0.040 |
| 239/1 | 0.218 |
| 239/2 | |
| 239/3 | |
| 259/2 | 0.178 |
| 278/2 | |
| 276/1 | 0.081 |
| 299/4 | 0.045 |
| 278/1 | 0.202 |
| 275 | 0.160 |
| 196 | 0.004 |
| 410/4 | 0.089 |
| 434 | |
| 226/4 | 0.016 |
| योग | 2.231 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 798/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-गिधौरी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.072 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 221/2 | 0.073 |
| 221/1 | 0.101 |
| 220/1 | 0.024 |
| 245 | 0.085 |
| 246 | 0.020 |
| 244/2 | 0.117 |
| 247 | 0.138 |
| 240 | 0.085 |
| 309/4 | 0.097 |
| 309/6 | |
| 309/5 | 0.008 |
| 310/1 | 0.024 |
| 310/2 | 0.049 |
| 307/1 | 0.061 |
| 307/2 | 0.008 |
| 307/3 | 0.045 |
| 315/1 | 0.073 |
| 307/4 | 0.020 |
| 315/2 | 0.045 |
| 321/2 | 0.061 |
| 321/1 | 0.097 |
| 320/1 | 0.198 |
| 327 | 0.016 |
| 371/2 | 0.016 |
| 328 | 0.020 |
| 329 | 0.093 |
| 336 | 0.097 |
| 353/2 | 0.045 |
| 342 | 0.008 |
| 346 | 0.028 |
| 345 | 0.020 |
| 344 | 0.045 |
| 353/1 | 0.036 |
| 352 | 0.065 |
| 354 | 0.065 |
| 369 | 0.089 |
| योग 35 | 2.072 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधौरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 799/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.167 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 402/1 | 0.073 |
| 402/2 | |
| 396/1 | 0.077 |
| 396/2 | |
| 397 | 0.045 |
| 398/1 | 0.089 |
| 398/4 | |
| 398/2 | |
| 398/3 | |
| 398/5 | |
| 430/4 | 0.081 |
| 430/2-3-5 | 0.085 |
| 429 | 0.125 |
| 425/1 | 0.065 |
| 425/2 | |
| 425/3 | |
| 425/4 | |
| 425/5 | |
| 424/1 | 0.105 |
| 424/2 | |
| 654 | 0.291 |
| 655 | 0.004 |
| 648/1 | 0.028 |
| 648/2 | |
| 647 | 0.077 |
| 645/1 | 0.097 |
| 645/2 | |
| 645/3 | |
| 646/1 | 0.202 |
| 646/2 | |
| 646/3 | |
| 646/4 | |
| 646/5 | |
| 646/6 | |
| 646/7 | |
| 664/1 | 0.097 |
| 664/2 | |
| 664/3 | |
| 664/4 | |
| 665/2 | 0.109 |
| 667 | 0.129 |
| 673 | 0.247 |
| 674 | 0.012 |
| 675 | 0.040 |
| 676/1 | 0.089 |
| 676/2 | |
| 676/3 | |
| योग | 2.167 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधौरी सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 800/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-गिधौरी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.497 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 211/1 | 0.085 |
| 212/1 | 0.138 |
| 212/3 | 0.040 |
| 218 | 0.105 |
| 220/1 | 0.032 |
| 220/2 | 0.097 |
| योग | 0.497 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधौरी सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र..801/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली खुर्द, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.826 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 112/1 | 0.176 |
| 112/2 | |
| 112/3 | |
| 120 | 0.134 |
| 119 | 0.142 |
| 118/1 | 0.155 |
| 118/2 | |
| 118/3 | |
| 118/4 | |
| 117/3 | 0.057 |
| 484/1 | 0.078 |
| 484/2 | |
| 194 | 0.032 |
| 195 | |
| 196 | |
| 349 | 0.094 |
| 197 | 0.121 |
| 198 | |
| 407 | 0.081 |
| 406 | 0.171 |
| 323 | 0.070 |
| 405/1 | 0.024 |
| 405/2 | 0.089 |
| 404 | 0.138 |
| 174 | 0.057 |
| 386 | 0.036 |
| 402 | 0.089 |
| 385/1 | 0.174 |
| 385/2 | |
| 199/1 | 0.012 |
| 200/1 | |
| 350/1 | 0.089 |
| 350/2 | |
| 348 | 0.113 |
| 314/1 | 0.194 |
| 314/2 | |
| 315/1 | 0.097 |
| 315/2 | |
| 321 | 0.028 |
| 322 | 0.013 |
| 343 | 0.053 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 324/1 | 0.175 |
| 342/1 | |
| 324/2 | |
| 342/2 | |
| 332 | 0.105 |
| 333 | |
| 114/1-6 | 0.029 |
| योग | 2.826 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रगजा उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 802/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़गोढ़ी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.265 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 100 | 0.049 |
| 99 | 0.049 |
| 98/2 | 0.057 |
| 98/3 | 0.008 |
| 77/3 | 0.077 |
| 78 | 0.138 |
| 81 | 0.057 |
| 80/1 | 0.069 |
| 82 | 0.032 |
| 298/1 | 0.085 |
| 297/1-2 | 0.008 |
| 293/1-2-3-4 | 0.113 |
| 296 | 0.162 |
| 295 | 0.028 |
| 294 | 0.113 |
| 411 | 0.121 |
| 410 | 0.008 |
| 412 | 0.105 |
| 415/1-2 | 0.081 |
| 413/2 | 0.004 |
| 247 | 0.012 |
| 248 | 0.024 |
| 249 | 0.040 |
| 258 | 0.223 |
| 259 | 0.004 |
| 269 | 0.012 |
| 260 | 0.036 |
| 261 | 0.012 |
| 262/1 | 0.081 |
| 255/2 | 0.008 |
| 229 | 0.065 |
| 233 | |
| 234 | 0.093 |
| 239 | 0.121 |
| 238 | 0.008 |
| 240 | 0.065 |
| 241 | |
| 473 | 0.081 |
| 472 | 0.069 |
| 452/3 | 0.049 |
| 447/1 | 0.024 |
| 448 | 0.032 |
| 449 | 0.012 |
| 450 | 0.040 |
| 435 | 0.113 |
| 436 | 0.057 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 438/2 | 0.081 |
| 255/1 | 0.004 |
| 438/1 | 0.024 |
| 437 | |
| 959 | 0.137 |
| 961 | |
| 962 | 0.077 |
| 964/1-3 | 0.121 |
| 960 | 0.089 |
| 944 | 0.024 |
| 945 | 0.016 |
| 942 | 0.008 |
| 940 | 0.049 |
| 938 | 0.089 |
| 939/1 | 0.020 |
| 937 | 0.008 |
| 936 | 0.073 |
| 931/1, 2, 3, 4 | 0.150 |
| 930/1, 2, 3 | 0.121 |
| 1056 | 0.004 |
| 1060 | 0.109 |
| 1075 | 0.024 |
| 1074 | 0.073 |
| 1189 | 0.040 |
| 1188 | 0.061 |
| 1190 | 0.016 |
| 1191 | 0.069 |
| 1192 | 0.028 |
| 1193/1-2 | 0.024 |
| 1188/ 1423/1 | 0.028 |
| 1188/1423/2 ख | 0.020 |
| 838 | 0.008 |
| 836/1-2 | 0.117 |
| 1212 | 0.057 |
| 1204 | 0.012 |
| 1207/3 | 0.040 |
| 1206/1 | 0.040 |
| 1207/1 | 0.012 |
| 1206/2 | 0.020 |
| 1226/1, 2, 3 | 0.117 |
| 1228/1, 2, 3, 4, 5 | 0.235 |
| 1229 | 0.024 |
| 1230 | 0.040 |
| 1232 | 0.073 |
| 1233 | 0.024 |
| 1235 | 0.024 |
| 1236 | 0.065 |
| 1238 | 0.057 |
| 1241 | 0.049 |
| 1242 | 0.057 |
| 1243 | 0.065 |
| 1277 | 0.004 |
| 1276 | 0.109 |
| 1274 | 0.089 |
| 1275/2 | |
| 1273 | 0.182 |
| 1270/1 | 0.085 |
| 1271 | 0.109 |
| 1260/1 | 0.174 |
| 1260/2 | 0.008 |
| 1261 | 0.040 |
| 1259/1, 2 | 0.097 |
| योग 103 | 6.265 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गढ़गोढ़ी उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 803/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े पाडरमुड़ा प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.021 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 3 | 0.397 |
| 2/2 | 0.008 |
| 2/3 | 0.008 |
| 4/1 | 0.052 |
| 4/2 | 0.065 |
| 5 | 0.032 |
| 4/3 | 0.064 |
| 33/1 | 0.056 |
| 30 | 0.053 |
| 32 | 0.089 |
| 31/3 | 0.032 |
| 48 | 0.053 |
| 48 | 0.045 |
| 48 | 0.024 |
| 39/1, 47 | 0.125 |
| 46/2 | 0.109 |
| 45/1 | 0.202 |
| 44/1 ग | 0.142 |
| 60/3 | 0.085 |
| 60/2 | 0.068 |
| 61 | 0.147 |
| 66/2 | 0.048 |
| 66/2 | 0.004 |
| 66/2 | 0.004 |
| 67/1 | 0.101 |
| 67/1 | 0.004 |
| 70/9 | 0.052 |
| 70/6 | 0.020 |
| 71/1 | 0.008 |
| 74 | 0.020 |
| 73 | 0.101 |
| 75 | 0.113 |
| 76/5 | 0.077 |
| 487/6 | 0.037 |
| 487/5 | 0.017 |
| 487/2 | 0.110 |
| 499/1 | 0.040 |
| 499/11 | 0.080 |
| 497/3 | 0.020 |
| 497/6 | 0.065 |
| 498/2 | 0.065 |
| 498/3 | 0.040 |
| 494/1 | 0.049 |
| 494/4 | 0.090 |
| योग 44 | 3.021 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरकार माइनर हेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 804/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-संजारी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 3/5, 10 | 0.117 |
| 1/8 | 0.097 |
| योग | 0.214 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्र. 805/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.678 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 330/10 | 0.020 |
| 330/3 | 0.020 |
| 330/15 | 0.028 |
| 330/13 | 0.052 |
| 330/13 | 0.032 |
| 330/12 | 0.028 |
| 327/1 | 0.052 |
| 320/4 | 0.008 |
| 320/3 | 0.129 |
| 310/4 | 0.064 |
| 309/3 | 0.076 |
| 320/2 | 0.028 |
| 309 | 0.093 |
| 310/1 | 0.004 |
| 330/11 | 0.044 |
| योग | 0.678 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमगांव माइनर वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 806/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमोदा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.527 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 146, 158/2 | 0.162 |
| 225/2 | 0.049 |
| 158/5 | 0.069 |
| 511/2 | 0.008 |
| 158/6 | 0.008 |
| 511/3 | 0.008 |
| 158/3 | 0.024 |
| 511/1 | 0.008 |
| 158/4 | 0.032 |
| 158/1 क | 0.085 |
| 156/3 | 0.121 |
| 157/1 | 0.129 |
| 201 | 0.020 |
| 156/2 | 0.093 |
| 203/2 | 0.125 |
| 155/1 | 0.040 |
| 204 | 0.097 |
| 208/1 | 0.061 |
| 467/1 | 0.008 |
| 207/1 | 0.024 |
| 211 | 0.109 |
| 212 | 0.162 |

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 564 | 0.024 |
| 213/2 | 0.065 |
| 515/1 | 0.089 |
| 515/2 | 0.016 |
| 473/1 | 0.024 |
| 516 | 0.061 |
| 510 | 0.093 |
| 503/1 ख/1 | 0.040 |
| 503/1 ग/1 | 0.012 |
| 468 | 0.065 |
| 467/2 | 0.061 |
| 467/3 | 0.020 |
| 467/4 | 0.016 |
| 469/1 | 0.028 |
| 745/1 | 0.069 |
| 469/2 | 0.008 |
| 469/3 | 0.008 |
| 745/2 | 0.049 |
| 469/4 | 0.008 |
| 473/2 | 0.020 |
| 473/3 | 0.020 |
| 473/4 | 0.020 |
| 446/1 | 0.028 |
| 446/2 | 0.032 |
| 445 | 0.004 |
| 430/15 | 0.036 |
| 440/1 | 0.028 |
| 705/1 | 0.036 |
| 438/1 | 0.028 |
| 438/2 | 0.032 |
| 438/3 | 0.028 |
| 704/3 | 0.061 |
| 438/4 | 0.004 |
| 503/1 क | 0.032 |
| 517 | 0.073 |
| 207/2 | 0.024 |
| 207/3 | 0.028 |
| 400/3 | 0.008 |
| 407/3 | 0.008 |
| 405 | 0.004 |
| 403/2 | 0.004 |
| 399/1 | 0.121 |
| [illegible]3/1 | 0.004 |
| 408/1 | 0.008 |
| 400/1 | 0.008 |
| 407/1 | 0.004 |
| 400/2 | 0.004 |
| 407/2 | 0.004 |
| 704/2 | 0.101 |
| 753/1 | 0.114 |
| 703/1 | 0.012 |
| 704/2 | 0.081 |
| 704/4 | 0.004 |
| 705/2 | 0.036 |
| 707/1 | 0.040 |
| 707/2 | 0.004 |
| 706/2 | |
| 726/1 | 0.004 |
| 726/2 | 0.008 |
| 727 | 0.053 |
| 728 | 0.044 |
| 729/1 | 0.049 |
| 729/2 | 0.053 |
| 729/3 | 0.053 |
| 723 | 0.121 |
| 745/4 | 0.121 |
| 748/2 | 0.036 |
| 753/2 | 0.061 |
| 774 | 0.081 |
| 774/1 | 0.283 |
| 989 | 0.024 |
| 995 | 0.036 |
| 990/2 | 0.101 |
| 993/2 | 0.012 |
| 991/1 | 0.044 |
| 991/2 | 0.004 |
| 992/6 | 0.125 |
| 1069/1 | 0.061 |
| 993/1 | 0.008 |
| 1066 | 0.061 |
| 1064/1 | 0.053 |
| 1064/2 | 0.008 |
| 1064/3 | 0.053 |
| 1051 | 0.109 |
| 1047 | 0.012 |
| 1050/1 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1050/2 | 0.053 |
| 470 | 0.101 |
| 475 | 0.160 |
| 400/1 क | 0.101 |
| 432 | 0.101 |
| 404 | 0.004 |
| योग 113 | 5.527 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमोदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 807/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.153 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1082 | 0.057 |
| 1081 | 0.004 |
| 1079 | 0.065 |
| 1077/2 | 0.093 |
| 1077/1 | |
| 1073 | 0.057 |
| 899 | 0.061 |
| 900 | |
| 898/2 | 0.129 |
| 897 | |
| 898/1 | |
| 896/1 | 0.081 |
| 895 | 0.008 |
| 893 | 0.045 |
| 892/1 | 0.004 |
| 890 | 0.109 |
| 888/1 | 0.061 |
| 917 | 0.032 |
| 918/1 | 0.061 |
| 919/1 | 0.036 |
| 919/2 | |
| 920/1 | 0.040 |
| 920/2 | |
| 962/1, 2, 3 | 0.134 |
| 961 | 0.004 |
| 963 | 0.024 |
| 892/2 | 0.024 |
| 887 | 0.008 |
| 913 | 0.004 |
| 916 | 0.004 |
| 918/2 | 0.008 |
| योग 25 | 1.153 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 808/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 553/1 | 0.101 |
| | 553/2 | 0.012 |
| | 553/9 | 0.065 |
| योग | 3 | 0.178 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरही माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 809/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-धमनी, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 873/1 | 0.073 |
| योग | 1 | 0.073 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 810/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-सोनादह, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1155 | 0.085 |
| योग | 1 | 0.085 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 811/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-पुछेली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 686 | 0.089 |
| | 730 | 0.040 |
| योग | 2 | 0.129 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोहदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 812/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कैथा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.266 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 814/1 | 0.024 |
| | 814/2 | 0.109 |
| | 1095/1 | 0.105 |
| | 1063 | 0.028 |
| योग | 4 | 0.266 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 813/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लखुर्री, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 154/3 | 0.170 |
| योग 1 | 0.170 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भदरा उप शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 814/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.406 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 296/4 | 0.032 |
| 296/1 | 0.093 |
| 296/3 | 0.049 |
| 296/5 | 0.020 |
| 290/8, 297/17 | 0.028 |
| 769/4 | 0.053 |
| 297/3 | 0.081 |
| 797/5 | 0.081 |
| 297/2 | 0.036 |
| 297/7 | 0.101 |
| 779/3 | 0.028 |
| 779/4 | 0.113 |
| 781/3 | 0.004 |
| 779/5 | 0.028 |
| 782/1 | 0.040 |
| 783, 784 | 0.223 |
| 797/4 | 0.028 |
| 797/1 | 0.049 |
| 798/5 | 0.065 |
| 798/10 | 0.032 |
| 798/1 | 0.020 |
| 811/3 | 0.057 |
| 800/1 | 0.085 |
| 811/1 | 0.020 |
| 811/11 | 0.040 |
| योग 25 | 1.406 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सराईपाली माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 815/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 212/1 | 0.057 |
| | 105/9 | 0.117 |
| | 105/4 | 0.085 |
| योग | 3 | 0.259 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 816/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 193/1 | 0.028 |
| | 194/1 | 0.040 |
| | 194/2 | 0.061 |
| | 194/3 | 0.040 |
| | 202/2 | 0.040 |
| | 772/1 | 0.024 |
| | 772/2 | 0.024 |
| | 775/1 | 0.028 |
| | 835/1 | 0.081 |
| | 956/2 | 0.024 |
| योग | 10 | 0.390 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 817/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डोंरागढ़, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.598 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 22/3 | 0.202 |
| 27/2 | 0.053 |
| 1559 | 0.040 |
| 1518 | 0.049 |
| 1522/2 | 0.016 |
| 1269/1 | 0.028 |
| 1277/1 | |
| 1180/1 | 0.117 |
| 1175 | 0.057 |
| 1266/3 | 0.008 |
| 1155/5 | 0.028 |
| योग 10 | 0.598 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 818/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-डुमरपारा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1286/2 | 0.032 |
| 1345/4 | 0.053 |
| 1345/3 | 0.085 |
| 1346/2 | |
| 1347/2 | |
| 2032 | 0.105 |
| 1900 | 0.061 |
| 1907 | |
| योग 5 | 0.336 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 819/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.682 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 167/2 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 165/2 | 0.077 |
| 165/3 | 0.085 |
| 166 | 0.040 |
| 164 | 0.125 |
| 214 | 0.364 |
| 216/2 | 0.049 |
| 216/6 | 0.121 |
| 215/2 | 0.032 |
| 216/1 | 0.146 |
| 216/3 | 0.081 |
| 216/4 | 0.028 |
| 219/1 | 0.040 |
| 219/2 | 0.109 |
| 219/3 | 0.085 |
| 219/4 | 0.045 |
| 220/1 | 0.020 |
| 220/2 | 0.045 |
| 221/1 | 0.073 |
| 221/2 | 0.049 |
| 221/3 | 0.081 |
| 221/4 | 0.061 |
| 221/5 | 0.004 |
| 222/2 | 0.109 |
| 222/4 | 0.121 |
| 222/3 | 0.069 |
| 222/5 | 0.053 |
| 222/6 | 0.061 |
| 222/10 | 0.016 |
| 296/4 | 0.085 |
| 296/12 | 0.085 |
| 295/3 | 0.049 |
| 296/3 | 0.040 |
| 296/13 | 0.040 |
| 296/7 | 0.101 |
| 296/6 | 0.004 |
| 289/15 | 0.073 |
| 289/11 | 0.093 |
| 289/1 | 0.061 |
| 289/2 | 0.182 |
| 289/12 | 0.061 |
| 291/2 | 0.113 |
| 289/7 | 0.101 |
| 289/1 | 0.061 |
| 290/3 | 0.036 |
| 290/9 | 0.093 |
| 290/4 | 0.024 |
| 290/8 | 0.040 |
| 290/11 | 0.065 |
| 304/1 | 0.129 |
| 306/2 | 0.008 |
| 306/1 | 0.097 |
| 305/2 | 0.174 |
| 305/1 | 0.445 |
| 222/8 | 0.093 |
| 222/9 | 0.012 |
| 297/21 | 0.040 |
| 289/3 | 0.061 |
| योग 58 | 4.682 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झालरौदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 820/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छीता पंडरिया, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.569 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 30/1 | 1.113 |
| 84 | 0.053 |
| 85/1 | 0.194 |
| 85/2 | 0.057 |
| 21/4 | 0.271 |
| 95/1 | 0.364 |
| 95/2 | 0.162 |
| 94 | 0.061 |
| 96/1 | 0.271 |
| 235/1 | 0.138 |
| 235/2 | 0.243 |
| 236 | 0.069 |
| 237/1 | 0.101 |
| 237/2 | 0.117 |
| 238 | 0.061 |
| 239/2 | 0.032 |
| 239/5 | 0.061 |
| 300/7 | 0.101 |
| 300/8 | 0.085 |
| 216/6 | 0.032 |
| 300/3 | 0.081 |
| 216/2 | 0.251 |
| 216/5 | 0.036 |
| 202/13 | 0.121 |
| 202/21 | 0.134 |
| 202/18 | 0.150 |
| 202/22 | 0,040 |
| 85/3 | 0.170 |
| योग 28 | 4.569 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झालरौंदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 821/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बोरदा प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 842/5 | 0.113 |
| 819/3 | 0.024 |
| योग 2 | 0.137 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरदा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 822/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.195 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 339/1 | 0.077 |
| 339/2 | 0.057 |
| 355 | 0.061 |
| योग 3 | 0.195 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 823/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 411/2 | 0.036 |
| 412/4 | 0.028 |
| 427/2 | 0.008 |
| योग 3 | 0.072 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 824/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.222 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 131/3 | 0.061 |
| 175/2 | 0.008 |
| 173/7 | 0.069 |
| 188/4 | |
| 200/4 | |
| 201/5 | |
| 205/4 | |
| 206/4 | |
| 205/5 | |
| 207/4 | |
| 209/13 | |
| 582/4 | |
| 126/2 | 0.032 |
| 125/3 | 0.008 |
| 185 | |
| 178/1 | 0.008 |
| 178/2 | 0.008 |
| 127/2 | 0.012 |
| 176 | 0.004 |
| 177 | 0.004 |
| 175 | 0.008 |
| योग 11 | 0.222 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनियापाट डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 825/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 345/1 | 0.028 |
| | 350/2 | 0.024 |
| | 542/6<br>542/7 | 0.121 |
| योग | 3 | 0.173 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिवनी डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 826/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नगारीडीह प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.096 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 774/1 क/23 | 0.089 |
| | 774/1 क/22 | 0.093 |
| | 774/1 क/21 | 0.089 |
| | 18/7 | 0.210 |
| | 774/1 क/20 | 0.085 |
| | 774/1क/18 | 0.085 |
| | 774/1 क/17 | 0.089 |
| | 774/1 क/19 | 0.093 |
| | 774/1 क/16 | 0.093 |
| | 774/1 क/5 | 0.170 |
| योग | 10 | 1.096 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 827/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-चमरा बरपाली प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.984 हेक्टेयर,

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 32 | 0.004 |
| 33/1 | 0.069 |
| 35/2 | 0.008 |
| 35/4 | 0.053 |
| 36 | 0.020 |
| 35/1<br>67 | 0.113 |
| 65 | 0.028 |
| 64 | 0.032 |
| 63 | 0.053 |
| 68/1 क | 0.008 |
| 62 | 0.057 |
| 61 | 0.056 |
| 60 | 0.064 |
| 58 | 0.032 |
| 57/3 | 0.004 |
| 57/4 | 0.008 |
| 57/5 | 0.008 |
| 57/6 | 0.020 |
| 115 | 0.008 |
| 114 | 0.040 |
| 116 | 0.085 |
| 112/1 | 0.032 |
| 112/2 | 0.057 |
| 110/1 | 0.040 |
| 110/2 | 0.085 |
| योग | 0.984 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 828/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बीरभाठा प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.792 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 27/1 | 0.332 |
| 27/3 | 0.291 |
| 27/8 | 0.348 |
| 27/10 | 0.362 |
| 21 | 1.513 |
| 22 | 0.040 |
| 14/4 | 0.097 |
| 14/2 | 0.073 |
| 13/5 | 0.154 |
| 13/10 | 0.251 |
| 13/1 | 0.469 |
| 13/7 | 0.194 |
| 13/4 | 0.004 |
| 14/5 | 0.048 |
| 15/2 | 0.121 |
| 11/1 | 0.210 |
| 13/8 | 0.279 |
| 10/3 | 0.006 |
| योग | 4.792 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 829/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अडभार प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.824 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 862 | 0.101 |
| 863/4 | 0.142 |
| 863/2 | 0.235 |
| 864/1 | |
| 870/2-3 | 0.049 |
| 865 | 0.145 |
| 866 | |
| 868 | |
| 869 | 0.069 |
| 873/1-2 | 0.215 |
| 873/3 | 0.138 |
| 879/9 | 0.081 |
| 879/4 | 0.093 |
| 879/8 | 0.016 |
| 879/8 | 0.012 |
| 879/2 | 0.032 |
| 879/6 | 0.291 |
| 874 | 0.344 |
| 888 | 0.194 |
| 889/1 | 0.085 |
| 889/7 | 0.061 |
| 889/2 | 0.117 |
| 889/8 | 0.134 |
| 889/3-4-5 | 0.324 |
| 908/3 | 0.174 |
| 908/1 | 0.401 |
| 908/10 | 0.045 |
| 906 | 0.012 |
| 907/1 | 0.182 |
| 907/2 | 0.081 |
| 905/1 | 0.312 |
| 921/2 | 0.421 |
| 921/3 | 0.130 |
| 921/4 | 0.085 |
| 925 | 0.595 |
| 956 | 1.219 |
| 976/3-5 | 1.142 |
| 1052/1 | 0.028 |
| 1052/2 | 0.024 |
| 1052/5 | 0.024 |
| 1052/3 | 0.048 |
| 1052/6 | 0.028 |
| 1052/7 | 0.012 |
| 1052/8 | 0.024 |
| 1052/4 | 0.255 |
| 1044/2 | 0.045 |
| 1044/1 | 0.028 |
| 1045 | 0.073 |
| 1046/1 | 0.028 |
| 1046/4 | 0.028 |
| 1046/2 | 0.016 |
| 1047/3 | 0.004 |
| 1047/2 | 0.121 |
| 1049 | |
| 1048 | 0.044 |
| 1047/4 | 0.012 |
| 1050/1-2 | 0.445 |
| 1089/1 | 0.199 |
| 1089/3 | 0.101 |
| 1089/4 | 0.060 |
| 1093/8 | 0.069 |
| 1093/3 | 0.077 |
| 1093/5 | 0.210 |
| 1093/9 | 0.060 |
| 1093/10 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1093/1 | 0.069 |
| 1093/3 | 0.239 |
| 1093/4 | 0.146 |
| 1093/11 | 0.008 |
| 1093/6 | 0.280 |
| 1093/7 | 0.162 |
| 1224/5 | 0.251 |
| 1224/3 | 0.207 |
| 1217 | 0.373 |
| 1214 | 0.049 |
| 1212 | 0.202 |
| 1211 | 0.113 |
| 1224/4 | 0.158 |
| 1202/1 | 0.174 |
| 1219/2 | 0.17 |
| 1220/10 | 0.113 |
| 1220/11 | 0.098 |
| 1220/9 | 0.166 |
| 1220/2 | 0.214 |
| 1220/7 | 0.268 |
| 1220/6 | 0.161 |
| 1219/4 | 0.195 |
| 1219/3 | 0.174 |
| 1222 | 0.348 |
| 1221 | 0.097 |
| 1093/14 | 0.044 |
| 1093/12 | 0.044 |
| 1235/10 | 0.194 |
| 1235/3 | 0.161 |
| 1236/2 | 0.101 |
| 1236/4 | 0.400 |
| 1235/12 क | 0.226 |
| 1235/1 | 0.190 |
| 1235/7 | 0.202 |
| 1235/21 | 0.198 |
| 1235/11 | 0.052 |
| 1235/3 | 0.206 |
| 1235/15 | 0.162 |
| 1235/19 | 0.369 |
| 1235/1 | 0.036 |
| 1235/6 | 0.036 |
| योग | 16.824 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 830/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सारस केला प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.530 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 429/6 | 0.008 |
| 429/8 | 0.117 |
| 429/5 | 0.073 |
| 429/1 | 0.077 |
| 429/4 | 0.012 |
| 430 | 0.162 |
| 423 | 0.081 |
| 91<br>201/3 | 0.287 |
| 431 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 424/2 | 0.097 |
| 425/1 | |
| 254 | 0.145 |
| 169 | 0.234 |
| 430 | 0.057 |
| 423 | 0.049 |
| 99 | 0.126 |
| 427/2 | 0.053 |
| 427/1 | 0.004 |
| 427/4 | 0.085 |
| 408/2 | 0.053 |
| 424/1 | 0.109 |
| 424/3 | 0.008 |
| 423 | 0.113 |
| 420/1 | 0.040 |
| 406/3 | 0.174 |
| 406/4 | 0.053 |
| 417 | 0.049 |
| 407 | 0.255 |
| 405/1 | 0.089 |
| 405/2 | 0.121 |
| 365 | 0.049 |
| 364 | 0.045 |
| 84 | 0.004 |
| 89 | 0.226 |
| 201/2 | |
| 360/1 | 0.020 |
| 360/6 | 0.089 |
| 173 | 0.093 |
| 172 | 0.020 |
| 179 | 0.336 |
| 253/2 | 0.049 |
| 253/4 | 0.016 |
| 174 | 0.049 |
| 106 | 0.004 |
| 98 | 0.097 |
| 86 | 0.093 |
| 90 | 0.121 |
| 176/2 | 0.081 |
| 175 | 0.036 |
| 176/1 | 0.077 |
| 83/4 | 0.089 |
| 85 | 0.081 |
| 88/2 | 0.093 |
| योग 51 | 4.503 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेरो सब डिस्ट्री ब्यूटरी.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 831/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुलबा प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.204 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 28 | 0.194 |
| 18 | 0.004 |
| 67 | 0.008 |
| 68 | 0.069 |
| 66/2 | 0.053 |
| 96/5 | 0.040 |
| 96/1 | 0.032 |
| 66/1 | 0.069 |
| 66/6 | 0.073 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 96/2 | 0.004 |
| 102 | 0.061 |
| 97/2<br>98/2 | 0.057 |
| 469/6 | 0.081 |
| 129/2 | 0.138 |
| 92/1<br>93/2 | 0.036 |
| 129/1 | 0.032 |
| 191/2 | 0.036 |
| 328/3 | 0.061 |
| 180 | 0.057 |
| 461 | 0.004 |
| 189/2 | 0.036 |
| 184/1 | 0.065 |
| 184/2 | 0.069 |
| 140/1 | 0.057 |
| 140/2 | 0.028 |
| 460 | 0.053 |
| 466/1 | 0.096 |
| 466/4 | 0.089 |
| 341 | 0.089 |
| 463 | 0.004 |
| 458 | 0.105 |
| 462 | 0.015 |
| 414/5 | 0.057 |
| 328/2 | 0.010 |
| 401/4 | 0.004 |
| 403 | 0.186 |
| 321<br>322/2<br>322/3 | 0.153 |
| 327/3 | 0.053 |
| 342 | 0.012 |
| 337/1 | 0.024 |
| 319/3 | 0.049 |
| 328/4 | 0.008 |
| 329/2 | 0.057 |
| 329/4 ख | 0.065 |
| 335/6 | 0.138 |
| 192 | 0.012 |
| 335/7 | 0.036 |
| 338/7 | 0.043 |
| 338/1 | 0.061 |
| 338/4<br>331/5 | 0.053 |
| 338/6 | 0.081 |
| 351/1<br>352/2 | 0.012 |
| 320/1 | 0.020 |
| 352/1 | 0.085 |
| 8 | 0.049 |
| 421 | 0.061 |
| योग | 3.204 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुधरी माइनर (सिंघरा) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 832/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भांठा प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 436 | 0.093 |
| 440/3 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 440/5 | 0.065 |
| 441 | 0.178 |
| योग | 0.364 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भांठा ब्रांच माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 833/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 19/3 | 0.008 |
| 19/2 | 0.008 |
| 20 | 0.024 |
| 21/2 | 0.146 |
| योग | 0.186 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भांठा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 834/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.638 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 300 | 0.222 |
| 307/1 | 0.012 |
| 323/1, 323/2, 326 | 0.036 |
| 322/2 | 0.032 |
| 308/1 | 0.138 |
| 314 | 0.158 |
| 315, 316 | 0.040 |
| योग | 0.638 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेरो सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 835/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-माहुलडीह प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.773 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 | 0.234 |
| 3 | 0.064 |
| 4/3 | 0.072 |
| 14/2 | 0.004 |
| 4/1 | 0.004 |
| 12/2 | 0.081 |
| 11 | 0.097 |
| 23/2 | 0.061 |
| 24 | 0.064 |
| 25/1 | 0.048 |
| 25/2 | 0.052 |
| 25/3 | 0.012 |
| 28/3 | 0.073 |
| 46/1 | 0.032 |
| 46/2 | 0.052 |
| 45 | 0.076 |
| 67/1 | 0.004 |
| 70/1 | 0.040 |
| 41/2 | 0.052 |
| 88 | 0.060 |
| 87/1 | 0.008 |
| 89 | 0.076 |
| 127/2 | 0.080 |
| 126 | 0.080 |
| 146/1 | 0.064 |
| 148/2 | 0.044 |
| 149 | 0.040 |
| 150 | 0.073 |
| 186/2 | 0.004 |
| 175/1, 176/1 | 0.057 |
| 183, 185 | 0.032 |
| 183, 766 | 0.004 |
| 182 | 0.064 |
| 18/1 | 0.060 |
| 181/2 | 0.072 |
| 275/1 | 0.040 |
| 275/2 | 0.008 |
| 276/1 | 0.040 |
| 278 | 0.068 |
| 279 | 0.060 |
| 318 | 0.012 |
| 317/1 | 0.032 |
| 316/3 | 0.060 |
| 316/2 | 0.016 |
| 314/1 | 0.012 |
| 315 | 0.052 |
| 313 | 0.084 |
| 312 | 0.036 |
| 327/1 | 0.053 |
| 327/2 | 0.032 |
| 328 | 0.036 |
| 309 | 0.036 |
| 307/3 | 0.032 |
| 302/2 | 0.004 |
| 306 | 0.048 |
| 305/1 | 0.048 |
| 305/2 | 0.004 |
| 305/3 | 0.020 |
| योग 58 | 2.773 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/छपोरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 836/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भठोरा प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.619 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1094 | 0.045 |
| 1095 | 0.089 |
| 1136/1 | 0.028 |
| 1133/3 | 0.004 |
| 1137 | 0.126 |
| 1138/1 | 0.008 |
| 1136/2 | 0.117 |
| 1135/1 | 0.004 |
| 1138/2 | 0.085 |
| 1139 | 0.113 |
| योग | 0.619 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरसडोल सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 837/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भठोरा प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.181 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1094 | 0.089 |
| 1096 | 0.117 |
| 1097 | 0.150 |
| 1084/2 | 0.045 |
| 1085 | 0.008 |
| 1083/2 | 0.057 |
| 1083/1 | 0.008 |
| 1018 | 0.097 |
| 1082/1 | 0.057 |
| 1080 | 0.040 |
| 922/2 | 0.028 |
| 1102/1 | 0.045 |
| 1102/4 | 0.032 |
| 922/3 | 0.024 |
| 1102/3 | 0.049 |
| 917 | 0.049 |
| 919 | 0.150 |
| 976/1 | 0.020 |
| 918/1 | 0.016 |
| 928/4 | 0.012 |
| 905 | 0.012 |
| 921 | 0.085 |
| 922/1 | 0.016 |
| 924/1 | 0.057 |
| 924/2 | |
| 930 | 0.024 |
| 927/1 | 0.020 |
| 928/3 | 0.012 |
| 933 | 0.008 |
| 1043 | 0.049 |
| 1035/1 | 0.085 |
| 1011/2 | 0.053 |
| 1101/2 | 0.020 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1034 | 0.097 |
| 976/3 | 0.089 |
| 1003 | 0.024 |
| 1016/1 | 0.105 |
| 1016/2 | 0.077 |
| 1002 | 0.053 |
| 1010/1 | 0.081 |
| 1009/1 | 0.040 |
| 1033/2 | 0.069 |
| 928/2 | 0.012 |
| योग | 2.181 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिहरिद माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 838/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.200 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 25/2 | 0.036 |
| 26/3 | 0.152 |
| 26/4 | |
| 27/2 | 0.101 |
| 28/3 | 0.090 |
| 29/1 | 0.081 |
| 69/2 | 0.097 |
| 70 | 0.311 |
| 75 | 0.036 |
| 74/1 | 0.045 |
| 74/2 | 0.020 |
| 72 | 0.053 |
| 394 | 0.040 |
| 73 | 0.053 |
| 395/2 | 0.016 |
| 393 | 0.069 |
| योग | 1.200 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 839सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पुटेकेला प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.772 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 23/11 | 0.024 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 23/13 | 0.024 |
| 27/4 | 0.036 |
| 64/2 | 0.049 |
| 23/14 | 0.020 |
| 27/03 | 0.028 |
| 82 | 0.008 |
| 83 | 0.008 |
| 90/2 | 0.024 |
| 90/1 | 0.016 |
| 93 | 0.036 |
| 91 | 0.024 |
| 114 | 0.016 |
| 113 | 0.028 |
| 115 | 0.004 |
| 116 | 0.012 |
| 174 | 0.012 |
| 175 | 0.004 |
| 176 | 0.028 |
| 171 | 0.036 |
| 170/1 | 0.008 |
| 170/2 | 0.008 |
| 424 | 0.008 |
| 425/1 ख | 0.049 |
| 425/1 क | 0.032 |
| 491 | 0.020 |
| 493/2 | 0.012 |
| 493/1, 494 | 0.061 |
| 496/1 | 0.032 |
| 496/2 | 0.008 |
| 498/1, 498/2, 498/3, 500 | 0.085 |
| 499 | 0.012 |
| योग | 0.772 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 840सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदां प. ह. नं.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.276 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 61/1 | 0.020 |
| 53/3 | 0.032 |
| 54/1 | 0.036 |
| 56/1 | 0.028 |
| 56/8 क | 0.032 |
| 56/5 | 0.032 |
| 56/7 | 0.016 |
| 75 | 0.032 |
| 56/6 | 0.016 |
| 76 | 0.032 |
| योग 10 | 0.276 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 841सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सेंदरी प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 81 | 0.040 |
| 77 | 0.008 |
| 38 | 0.080 |
| 34 | 0.016 |
| 35 | 0.028 |
| 32/1-3-4 | 0.020 |
| 32/2 क | 0.045 |
| 205 | 0.012 |
| 227 | 0.012 |
| 226 | 0.028 |
| 225 | 0.020 |
| 223/2 | 0.012 |
| 223/1क | 0.016 |
| 219/1 | 0.032 |
| 219/2 | 0.016 |
| 219/3 | 0.024 |
| 221 | 0.016 |
| 295 | 0.004 |
| 294/2 | 0.012 |
| 294/1 | 0.024 |
| 294/3 | 0.024 |
| 291/1 | 0.060 |
| 272/2 | 0.004 |
| 290 | 0.012 |
| 273/2 | 0.028 |
| 289 | 0.004 |
| 288 | 0.020 |
| 305 | 0.032 |
| 304/1-5 | 0.045 |
| 287 | 0.004 |
| 339 | 0.016 |
| 338 | 0.036 |
| 336/2 | 0.044 |
| 336/4 | 0.036 |
| 331/2 | 0.008 |
| 330 | 0.049 |
| 323 | 0.004 |
| 324 | 0.004 |
| 325 | 0.012 |
| 320, 321 | 0.097 |
| 443 | 0.008 |
| 444 | 0.008 |
| 445, 446 | 0.040 |
| 447 | 0.053 |
| 452 | 0.049 |
| 453 | 0.020 |
| 223/1 घ | 0.028 |
| 297/1 | 0.004 |
| योग | 1.214 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 842सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-तुर्री प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.021 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 16 | 0.016 |
| 18 | 0.012 |
| 21 | 0.032 |
| 23 | 0.012 |
| 22 | 0.020 |
| 32 | 0.004 |
| 35/1 | 0.016 |
| 37/4 | 0.028 |
| 38 | 0.028 |
| 49 | 0.020 |
| 47 | 0.032 |
| 70/1 | 0.028 |
| 74 | 0.008 |
| 73/2 | 0.020 |
| 77 | 0.024 |
| 93 | |
| 92 | 0.028 |
| 91/2 | 0.020 |
| 106 | 0.049 |
| 107 | |
| 137 | 0.032 |
| 136 | 0.016 |
| 135 | 0.028 |
| 214/2 | 0.028 |
| 212/2 | 0.028 |
| 267 | 0.020 |
| 266/3 | 0.008 |
| 258/3-5 | 0.036 |
| 411 | 0.020 |
| 410 | 0.008 |
| 412 | 0.016 |
| 413 | 0.016 |
| 414 | 0.024 |
| 415 | 0.020 |
| 402 | 0.008 |
| 400 | 0.012 |
| 401 | 0.008 |
| 394 | 0.012 |
| 422 | 0.020 |
| 424 | 0.016 |
| 425 | 0.012 |
| 426/1 | 0.012 |
| 430 | 0.040 |
| 431 | 0.008 |
| 456/1 | 0.012 |
| 457 | 0.024 |
| 454 | 0.008 |
| 453 | 0.012 |
| 480/1 | 0.016 |
| 480/2 | 0.020 |
| 536 | 0.032 |
| 533 | |
| 537 | 0.008 |
| 527/5 | 0.012 |
| 35/2 | 0.016 |
| 35/3 | 0.016 |
| योग | 1.021 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 843सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-चमराबरपाली, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 342/1 | 0.053 |
| योग | 0.053 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 843सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.009 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 401/3 | 0.142 |
| 403/9 | |
| 404/8 | |
| 404/2 | |
| 404/10 | 0.020 |
| 404/14 | |
| 400/2 | 0.222 |
| 402/4 | |
| 402/12 | |
| 403/2 | |
| 403/16 | |
| 402/1 | 0.121 |
| 402/2 | |
| 402/10 | |
| 402/14 | |
| 401/1 | 0.061 |
| 402/3 | |
| 402/17 | |
| 402/19 | |
| 403/1 | |
| 402/18 | 0.129 |
| 403/2 | |
| 402/5 | 0.162 |
| 402/9 | |
| 402/13 | |
| 402/16 | |
| 403/3 | |
| 403/12 | |
| 403/15 | |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 403/10 | 0.222 |
| 403/13 | |
| 404/9 | |
| 404/13 | |
| 403/8 | 0.012 |
| 403/14 | |
| 404/6 | |
| 404/7 | |
| 404/11 | |
| 737 | 0.170 |
| 889 | |
| 734/2 | 0.303 |
| 760 | 0.008 |
| 761 | 0.303 |
| 850/1 | 0.073 |
| 850/2 | |
| 402/7 | 0.061 |
| 403/5 | |
| 403/6 | |
| 404/1 | |
| 404/3 | |
| योग | 2.009 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गस्तीडीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 845सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-ढोलनार, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.075 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 54/1 | 0.073 |
| 90/1 | 0.231 |
| 94 | 0.040 |
| 95 | 0.085 |
| 97 | 0.028 |
| 54/2 | 0.113 |
| 57/1 | 0.012 |
| 57/2 | |
| 58 | 0.028 |
| 59 | 0.105 |
| 90/2 | 0.077 |
| 60/1 | 0.105 |
| 60/2 | |
| 60/3 | |
| 61 | 0.073 |
| 62/1 | 0.105 |
| 62/2 | |
| योग 13 | 1.075 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढोलनार माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 846सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरमाल, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.962 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 207/1 | 0.166 |
| 207/2 | |
| 207/3 | |
| 207/4 | |
| 207/5 | |
| 207/6 | |
| 207/7 | |
| 207/8 | |
| 207/9 | |
| 207/10 | |
| 206/1 | 0.109 |
| 206/2 | |
| 206/3 | |
| 206/4 | |
| 205 | 0.073 |
| 278 | 0.089 |
| 279 | 0.077 |
| 275 | 0.008 |
| 274 | 0.125 |
| 273 | 0.004 |
| 287/1 | 0.210 |
| 207/2 | |
| 207/3 | |
| 207/4 | |
| 207/5 | |
| 207/6 | |
| 288 | 0.101 |
| योग | 0.962 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरमाल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 847सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधि[illegible], 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-खुंटदहरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.165 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 34/2 | 0.101 |
| 35/1 | |
| 127/2 | 0.425 |
| 125/1-2 | 0.097 |
| 124 | 0.117 |
| 115 | 0.008 |
| 121 | 0.154 |
| 120 | 0.004 |
| 119 | 0.097 |
| 116/1-2 | 0.004 |
| 117 | 0.134 |
| 246 | 0.170 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 245 | 0.069 |
| 244 | 0.049 |
| 251/1 से 3 | 0.113 |
| 255/1-2-3 | 0.190 |
| 258/1 से 5 | 0.061 |
| 257 | |
| 262/1 से 35 | 0.368 |
| 266/1-2 | |
| 552/1-2 | |
| 123 | 0.004 |
| योग 18 | 2.165 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटादहरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 848सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरपाली, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.114 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 215/2 | 0.040 |
| 217/1 | 0.056 |
| 547/1 | 0.024 |
| 547/2 | 0.065 |
| 548/1 | 0.129 |
| 548/2 | |
| 549 | 0.093 |
| 547/8 | 0.028 |
| 552/9 | 0.008 |
| 547/5 | 0.020 |
| 552/3 | 0.008 |
| 547/6 | 0.068 |
| 552/1 | 0.056 |
| 553/4 | 0.048 |
| 560 | 0.085 |
| 619 | 0.016 |
| 618 | 0.052 |
| 617/1 क | 0.182 |
| 642 | 0.040 |
| 655 | 0.036 |
| 627/2 | 0.016 |
| 645 | 0.085 |
| 559/3 | 0.040 |
| 656/2 | 0.048 |
| 573/3 | 0.028 |
| 573/1 | 0.138 |
| 572 | 0.057 |
| 570/2 | 0.045 |
| 570/1 | 0.040 |
| 627/1 | 0.052 |
| 628/1 | 0.032 |
| 628 | 0.060 |
| 629 | |
| 646/1 | 0.020 |
| 646/3 | 0.081 |
| 646/5 | 0.008 |
| 393/4 | 0.065 |
| 358/1 | 0.036 |
| 358/3 | 0.028 |
| 392/7 | 0.004 |
| 393/9 | |
| 394/6 | |
| 392/3 | 0.072 |
| 393/5 | |
| 394/2 | |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 655 | 0.048 |
| 623 | 0.057 |
| योग 41 | 2.114 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा उप शाखा वितरक लघु वितरक 2 आर/एल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 849सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पुटेकेला, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.176 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 496/1 | 0.020 |
| 497 | 0.069 |
| 501/1 | 0.073 |
| 502 | 0.004 |
| 506/1 | 0.077 |
| 609/2 | 0.045 |
| 517/4 | 0.053 |
| 517/1 | 0.016 |
| 687/1 | 0.057 |
| 517/6 | 0.024 |
| 602/2 | 0.057 |
| 517/2 | 0.032 |
| 515/1<br>515/2 | 0.077 |
| 687/2 | 0.040 |
| 690 | 0.008 |
| 749/1 | 0.004 |
| 749/2 | 0.053 |
| 534/1 | 0.040 |
| 532/1 | 0.061 |
| 536 | 0.081 |
| 538 | 0.073 |
| 609/6 | 0.053 |
| 609/5 | 0.024 |
| 647/4 | 0.040 |
| 604 | 0.089 |
| 603/1 | 0.004 |
| 632 | 0.085 |
| 633/1 | 0.004 |
| 602/3 | 0.008 |
| 602/1 | 0.057 |
| 601/1 | 0.028 |
| 601/2 | 0.024 |
| 593/2 | 0.053 |
| 647/2 | 0.008 |
| 647/3 | 0.040 |
| 593/1 | 0.004 |
| 648 | 0.154 |
| 689 | 0.073 |
| 685/1 | 0.016 |
| 684 | 0.036 |
| 709/1 | 0.024 |
| 761/1 | 0.008 |
| 709/2 | 0.016 |
| 682/4 | 0.057 |
| 682/3 | 0.049 |
| 718 | 0.105 |
| 716/1 | 0.101 |
| 725/2 | 0.077 |
| 726 | 0.065 |
| 736/3 | 0.040 |
| 728/2 | 0.020 |
| 742 | 0.057 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 741/7 | 0.049 |
| 741/6 | 0.036 |
| 745 | 0.004 |
| 760/1 | 0.004 |
| 760/2 | 0.036 |
| 761/2 | 0.061 |
| 758/1 | 0.028 |
| 767 | 0.101 |
| 765 | 0.008 |
| 766 | 0.069 |
| 775/8 | 0.057 |
| 777/4 | 0.085 |
| 777/1 | 0.061 |
| 790 | 0.040 |
| 791 | 0.040 |
| 793 | 0.057 |
| 792/1 | 0.053 |
| 792/2 | 0.004 |
| योग | 3.176 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरारी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 850सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चमराबरपाली, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 241/2 | 0.077 |
| 102/1 | 0.081 |
| 98/2 | 0.004 |
| 101 | 0.073 |
| 100 | 0.049 |
| 99 | 0.012 |
| 96 | 0.012 |
| 107 | 0.008 |
| 95/1 | 0.089 |
| 95/2 | 0.121 |
| 109 | 0.045 |
| 110 | 0.040 |
| 220 | 0.053 |
| 221/1 | 0.004 |
| 219/1 | 0.065 |
| 218 | 0.053 |
| 225 | 0.053 |
| 226/2 | 0.057 |
| 226/1 | 0.077 |
| 227 | 0.085 |
| 294 | 0.077 |
| 295 | 0.012 |
| 296/1 | 0.045 |
| 207 | 0.049 |
| 206 | 0.049 |
| 203 | 0.057 |
| 300/1 | 0.004 |
| 302 | 0.049 |
| 303/1 | 0.069 |
| 303/2-3 | 0.081 |
| योग 30 | 1.550 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.